



झारखण्ड अधिविद्या परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

**वार्षिक माध्यमिक परीक्षा - 2015 का ब्रॉड लिस्ट, अंक पत्रक आदि के वितरण/
प्रमाण पत्रों में हुए त्रुटि संशोधन एवं पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक सूचना**

विज्ञप्ति संख्या - 20/2015

एतद् द्वारा सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों, विद्यालय प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2015 का क्रांस लिस्ट, अंक पत्रक, औपचारिक प्रमाण पत्र एवं प्रब्रजन प्रमाण पत्र संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से दिनांक 11.05.2015 से वितरित किया जाएगा, जिसे विद्यालय प्रधान द्वारा स्वयं अथवा अधिकृत दूत के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

(2)जिन छात्रों के अंक पत्रक आदि में नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, स्वीकरण संख्या, आदि में त्रुटि हो तो ऐसे छात्र अपना आवेदन (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्रक की छाया प्रति के साथ) दिनांक 05.06.2015 तक संबंधित विद्यालय में निशुल्क जमा करेंगे। संबंधित प्रधानाध्यापक सभी आवेदनों को सूचीबद्ध कर अग्रसारित करते हुए परिषद् कार्यालय में दिनांक 10.06.2015 तक अवश्य ही जमा करेंगे। इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क ₹400/- (चार सौ रुपये) के साथ आवेदन स्वीकार किये जाएंगे।

(3)अंक पत्रक में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Withheld, Incomplete, Absent है तो परीक्षार्थी अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र)की स्वतंत्रप्रमाणित छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में दिनांक 30.05.2015 तक किसी भी कार्य दिवास को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निष्ठारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2015 के जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्रासांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्कूटनी के लिए विद्यालय प्रधान के द्वारा इस आशय का प्रमाणक के साथ कि “वे संतुष्ट हैं कि स्कूटनी के लिए मजबूत एवं समुचित आधार है” अपना आवेदन पत्र अंक पत्र की छाया प्रति के साथ अग्रसारित कराकर दिनांक 11.05.2015 से 10.06.2015 तक झारखण्ड अधिविद्या परिषद् कार्यालय, राँची, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेटिनीनार में जमा करेंगे।

प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क 150/- (एक सौ पचास)रुपये होगा। अधिकतम तीन विषयों का पुनरीक्षण अनुमान्य है। शुल्क की राशि का बैंक ड्रापट “झारखण्ड एकेडमिक कॉर्सिल फाई, राँची” के नाम से देय एवं भुगताय, संथाल पसाना प्रमण्डल के लिए “झारखण्ड एकेडमिक कॉर्सिल फाई, दुमका” के नाम से देय एवं भुगताय तथा पलामू प्रमण्डल के लिए “झारखण्ड एकेडमिक कॉर्सिल फाई, डाल्लेनगंज” के नाम से देय एवं भुगताय होगा। आवेदन के साथ अंक-पत्र की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

1. स्कूटनी में निम्न विन्दुओं पर विचार किया जाएगा:-

- (क) अंदर के पृष्ठ में नियोजित अंक अंग सुच्च वृष्ट पर अंकित नहीं हैं तब उसे सुच्च पृष्ट पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा।
 - (ख) अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा।
 - (ग) अंकों का योग आगे सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा।
2. स्कूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्कूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पुरुमूल्यांकन नहीं किया जाता है जिससे अंक त्रुटि की संभावना कम रहती है। अतएव वार्षिक परीक्षा- 2015 के अनुरीण छात्रों को राय दी जाती है कि स्कूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना सम्पूरक (Compartmental) परीक्षा- 2015 अथवा वार्षिक परीक्षा- 2016 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं।
3. निष्ठारित तिथि को 5.00 बजे अपाह्नन के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही बिना शुल्क के अथवा बिना विद्यालय प्रधान के अग्रसारण एवं अनुशंसा या बिना अंक पत्र की छाया प्रति के स्कूटनी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निष्ठारित तिथि के बाद अथवा डाक द्वारा भेजे गए स्कूटनी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

हॉ./-

(मोहन चाँद मुकिम)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्या परिषद्, राँची।